



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, June 28, 2024 / Ashadha 47, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(NO QUESTION HOUR: PART I - NOT ISSUED)

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, June 28, 2024 / Ashadha 7, 1946 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	1 – 3
...	4
PAPERS LAID ON THE TABLE	5 – 7
ADDITION OF A NEW DIRECTION 116A TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER – LAID	8
MEMBER SWORN – contd.	9
ELECTIONS TO COMMITTEES	10 – 11
(i) Committee on Estimates	
(ii) Public Accounts Committee	
...	12

XXXX

(1100/SJN/NKL)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर – 1, महासचिव जी।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Secretary-General may now call the names of hon. Members.

SECRETARY-GENERAL: West Bengal, Shri Sk Nurul Islam – not present; Shri Shatrughan Prasad Sinha – not present.

निधन संबंधी उल्लेख

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ, मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूँ।**श्री मनोहर जोशी जी** महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर-मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री मनोहर जोशी 13वीं लोक सभा के अध्यक्ष भी रहे और लोक सभा के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हुए, उन्होंने संसदीय परिपाटियों और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। श्री जोशी ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री जोशी सन् 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और वे दो कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान सभा और तीन कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे।

कुशल संसदविद श्री जोशी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जेनेवा और चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

श्री मनोहर जोशी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी, 2024 को मुंबई में हुआ।

श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी, 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ।

श्री जय भद्र सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। वह रेल संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री जय भद्र सिंह का निधन 71 वर्ष की आयु में 02 फरवरी, 2024 को लखनऊ में हुआ।

श्री डी. वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इसके पूर्व, वे दो कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री डी. वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी, 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोक सभा के सदस्य थे। डॉ. बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

इसके पूर्व, वे चार कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 2024 को संभल (उत्तर प्रदेश) में हुआ।

(1105/MM/VR)

श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गिरियप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इसके पूर्व वे कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे।

श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च, 2024 को बेंगलुरु में हुआ।

श्री ए. गणेशमूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 17वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गणेशमूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

उन्होंने तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री ए. गणेशमूर्ति का निधन 28 मार्च, 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोयंबटूर, तमिलनाडु में हुआ।

श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच कार्यकालों के लिए कार्य किया।

श्री कुंवर सर्वेश कुमार का निधन 20 अप्रैल, 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे।

उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल, 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 17वीं लोक सभा के सदस्य थे।

उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

इसके पूर्व, श्री श्रीनिवास प्रसाद ने दो कार्यकालों के लिए कर्नाटक विधान सभा के सदस्य और कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद का निधन 29 अप्रैल, 2024 को 76 वर्ष की आयु में बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ।

श्री एम. सेल्वराज तमिलनाडु के नागा-पट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 17वीं लोक सभा के सदस्य थे।

वे रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री एम. सेल्वराज का निधन 13 मई, 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ।

श्री सुशील कुमार मोदी बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री मोदी ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और जल संसाधन संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री सुशील कुमार मोदी दो कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप-मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

वे तीन कार्यकाल के लिए बिहार विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया।

श्री सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई, 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री प्रतापराव बी. भोसले महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं, 9वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री भोसले सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य रहे।

(11110/YSH/SAN)

वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री प्रतापराव बी. भोसले का निधन 19 मई, 2024 को 89 वर्ष की आयु में सतारा में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब, यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति:।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है कि एडजर्नमेंट मोशन और शून्य काल महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे। यह बुलेटिन में भी बताया गया था और आपको पहले भी अवगत कराया जा चुका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आप सभी मुद्दों, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सभी विषयों को उठा सकते हैं। आप संक्षिप्त में मत उठाइए, डिटेल में चर्चा कीजिए। आपके पास पर्याप्त समय है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैंने व्यवस्था दे दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा यह विषय है कि आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर दो मिनट नहीं, बल्कि आपकी पार्टी का जितना समय है, वह पूरा भी ले सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप डिटेल में बोल लीजिएगा, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर हम पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं इसलिए आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (रायबरेली) : सर, माइक तो ऑन कर दीजिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माइक को बंद नहीं करता हूँ। मैंने पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। यहां कोई बटन नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि आप अपने विषय को महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रख सकते हैं। अभी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (रायबरेली) : सर, हिन्दुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपोजिशन और सरकार की तरफ से जॉइंट मैसेज देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें, डेडिकेटेड डिस्कशन करें... (व्यवधान) अब बात यह है कि दो फोर्स हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1114 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 5 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.874(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 5 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.875(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा(2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 6 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.102(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के 31 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलेगा। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हर विषय पर बोल सकते हैं। दो मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दो मिनट का विषय नहीं है। आप पूरा मेशन कीजिए, पूरा विषय रखिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था दी गई है। आप वरिष्ठ नेता हैं। आपको पूरा समय दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

(1115/RAJ/AK)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर – 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|--------------|--------------------------|
| 1. | विवरण सं. 34 | ग्यारहवां सत्र, 2012 |
| 2. | विवरण सं. 33 | बारहवां सत्र, 2012 |
| 3. | विवरण सं. 31 | पन्द्रहवां सत्र, 2013-14 |

सोलहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|--------------|-----------------------|
| 4. | विवरण सं. 29 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 5. | विवरण सं. 23 | दसवां सत्र, 2016 |
| 6. | विवरण सं. 25 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 7. | विवरण सं. 19 | तेरहवां सत्र, 2017-18 |
| 8. | विवरण सं. 19 | चौदहवां सत्र, 2018 |
| 9. | विवरण सं. 20 | पंद्रहवां सत्र, 2018 |

सत्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|--------------|----------------------|
| 10. | विवरण सं. 22 | पहला सत्र, 2019 |
| 11. | विवरण सं. 18 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 12. | विवरण सं. 16 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 13. | विवरण सं. 17 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 14. | विवरण सं. 16 | छठा सत्र, 2021 |
| 15. | विवरण सं. 10 | सातवां सत्र, 2021 |
| 16. | विवरण सं. 10 | आठवां सत्र, 2022 |
| 17. | विवरण सं. 7 | नौवां सत्र, 2022 |
| 18. | विवरण सं. 5 | दसवां सत्र, 2022 |
| 19. | विवरण सं. 5 | ग्यारहवां सत्र, 2023 |
| 20. | विवरण सं. 2 | बारहवां सत्र, 2023 |
| 21. | विवरण सं. 2 | चौदहवां सत्र, 2023 |
| 22. | विवरण सं. 1 | पंद्रहवां सत्र, 2024 |

...(व्यवधान)

**ADDITION OF A NEW DIRECTION 116A TO
DIRECTIONS BY THE SPEAKER – LAID**

1115 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy of new Direction 116A (Hindi and English versions) issued by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

... (*Interruptions*)

1116 hours

(At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri B. Manickam Tagore, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood near the Table.)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1117 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/KN/UB)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिये। एक माननीय सदस्य की शपथ होनी है। प्लीज आप बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक शपथ करवानी है। माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य की शपथ करवानी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय नेता, आप इन सब को समझाओ कि कब उठना है और कब बैठना है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी एक माननीय सदस्य की शपथ है, वह करवा रहे हैं।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, please let the hon. MP take the oath from his seat only.

माननीय अध्यक्ष : हाँ, इनकी शपथ करवा रहे हैं।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, I allow him.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : महासचिवा

... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सर, बैठे-बैठे करवा लीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, बैठ कर शपथ करवाने की परम्परा रही है, लेकिन वह उठ गए हैं।

... (व्यवधान)

MEMBER SWORN – contd.

WEST BENGAL – (contd.)

Shri Sk Nurul Islam (Basirhat)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 6 – श्री किरन रिजिजू जी।

... (व्यवधान)

1204 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Hanuman Beniwal, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood near the Table.)

समितियों के लिए निर्वाचन

(i) प्राक्कलन समिति

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ:

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। पेपर टेबल हो रहा है। सारी कमेटियाँ बननी हैं।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, बच्चों को नहीं पता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कमेटियाँ बननी हैं।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है। उनको न्याय से मतलब है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 7.

(ii) Public Accounts Committee

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:-

“That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 2025.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ। आप हर विषय पर, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ। सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सब की है।

... (व्यवधान)

(1205/VB/SRG)

हमें जनता ने बहुत अपेक्षा-आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआती दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, यह संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए। मैं आपको एलाऊ करूँगा।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा किसी और विषय पर चर्चा करने की परम्परा कभी नहीं रही है... (व्यवधान) पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद की गरिमा को ताक पर रखते हुए, आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, ये उसका विरोध करके वेल में आए हैं, मैं इसको कंडेम करना चाहता हूँ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय जी, आपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहें, तो उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा... (व्यवधान) राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वे अपनी पूरी बात रख सकते हैं... (व्यवधान)

मैं, आपके माध्यम से, विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा, तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं... (व्यवधान) हम पूर्ण रूप से जवाब देंगे... (व्यवधान) इसलिए सदन को चलने दिया जाए क्योंकि चर्चा होनी चाहिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूरे मुद्दे पर अपनी बात कहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं? आप 'नीट' के मुद्दे और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप देश के और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, 01 जुलाई, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1208 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 01 जुलाई, 2024 / 10 आषाढ़ 1946 (शक) को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।